20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

217

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी-4527/2018/छतरपुर/भू.रा.

निगरानी प्र०क्र० सन् 2018

1. रामलाल पाल तनय श्री ननुवा पाल उम्र 55 वर्ष
2. हरीराम पाल तनय श्री ननुवा पाल उम्र 50 वर्ष
3. रामदास पाल तनय श्री ननुवा पाल उम्र 45 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम दालौन तहसील व जिला छतरपुर म०प्र० -निगरानी कर्तागण

बनाम

महिपाल सिंह पिता शंकर सिंह ठाकुर उम्र 50 वर्ष
निवासी ग्राम दालौन तहसील व जिला छतरपुरम०प्र० -- अनावेदक

10.7.18
30.7.18
10/7/18

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू० रा०संहित 1959 उपरोक्त निगरानी आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर के अपील प्र०क्र० - 201/अपील/अ-6-अ/2016-17 महिपाल सिंह बनाम रामलाल वगैरह में पारित आदेश दि. 29/06/2018 से दुखी होकर ।

महोदय ,

निगरानी कर्तागण सादर निम्न लिखित विनय करते है :-

1. यहकि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी कर्तागण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 300 रकबा 2.140 है. स्थित दालौन तहसील व जिला छतरपुर में स्थित है उक्त भूमि निगरानी कर्तागण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है तथा पिछले 50 वर्षों से राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि निगरानी कर्तागण के नाम दर्ज चली आ रही है तथा निगरानी कर्तागण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है ।

2. यहकि अनावेदक महिपाल सिंह निगरानी कर्तागण की भूमि को जबरन हड़पना चाहता है इस कारण से अनावेदक ने फर्जी मुकदमा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4527/2018/छतरपुर/भू.रा. रामलाल विरूद्ध महिपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019 10.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 201/अपील/अ-अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29-06-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 10.1.19	